

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी-सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा ।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3100 सन 2026
CNR. No.UPSP01010073322026

शमशाद पुत्र इनाम, निवासी ग्राम गन्दराऊ, थाना कैराना, जिला शामली ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त ।

बनाम

उ0प्र0 राज्य ।

.....विपक्षी ।

मु.अ.सं. 103/2026

धारा 303(2),61(2) बी0एन0एस0

थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर ।

निस्तारण जमानत प्रार्थना-पत्र

20.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **शमशाद** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ इनाम पुत्र महेन्दी हसन का शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी विक्रम द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि ग्राम जमालपुर में इण्डस कम्पनी के टावर से दिनांक 03.05.2026 की रात्रि में टावर में लगे कैबनेट के ताले तोड़कर उसके अन्दर लगे बैट्री बैंक चोरी कर लिए गए हैं, जिस कारण टावर बंद होने जाने पर संचार व्यवस्था बाधित होने पर क्षेत्रिय लोगो को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा कम्पनी को भी काफी नुकसान हुआ है। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि वह निर्दोष हैं और उसे मुकदमा उपरोक्त में झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी का तथाकथित घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब वास्ता नहीं है। प्रार्थी का नाम सहअभियुक्त के बयान के आधार पर आना बताया गया है। प्रार्थी एक अन्य वाद में जिला मु0नगर कारागार से पुलिस द्वारा इस मामले में तलब किया गया है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। कथित घटना में किसी पुलिस कर्मी को कोई चोट नहीं है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक षड्यन्त्र के तहत ग्राम जमालपुर में इण्डस कम्पनी के मोबाईल टावर में लगे कैबनेट के ताले तोड़कर उसके अन्दर लगे बैट्री बैंक चोरी करने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की

घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में विरुद्ध दर्ज करायी गयी है। केस डायरी के अनुसार प्रस्तुत मामले में दौरान विवेचना पुलिस द्वारा पकड़े गए सहअभियुक्तगण को गिरफ्तार किए जाने पर पूछताछ के दौरान उनके द्वारा इस अपराध की संस्वीकृति किए जाने के आधार पर आवेदक/अभियुक्त का नाम इस मामले में प्रकाश में आना व आवेदक/अभियुक्त को एक अन्य वाद में जिला मु0नगर कारागार से पुलिस द्वारा इस मामले में तलब किया जाना दर्शित है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। थाने से प्राप्त आपराधिक इतिहास में दर्शित अन्य मुकदमों में आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत पर होने का कथन किया गया है। सहअभियुक्तगण सारिक एवं कादिर का जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2026 को स्वीकार किया जा चुका है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **शमशाद** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 25,000/-रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. उपरोक्त मामले की प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
 2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगा।
 3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
 4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।
- उपरोक्त शर्तों के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांक:-20.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891